

संयुक्त राज्य में भारतीय खाद्य पदार्थों के नरियात की अस्वीकृति

प्रलिस के लयि:

भारत द्वारा अमेरिका को कया जाने वाले मुख्य खाद्य नरियात, सालमोनेला, [वशिव वयापार संगठन](#), स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary- SPS) समझौता, [भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक पराधकरण](#), [कोडेक्स एलमिंटेरयस Codex Alimentarius](#)

मेन्स के लयि:

SPS समझौते के मुख्य प्रावधान, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों में सुधार के उपाय, कृषविपिणन ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के [फूड एंड ड्रग एडमनिसिटरेशन \(FDA\)](#) ने हाल ही में वगित चार वर्षों में खाद्य पदार्थों के के आयात से संबंधति जानकारी जारी की है जिसके अनुसार अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के आधार पर [भारत, मेक्सिको तथा चीन](#) जैसे देशों से [खाद्य पदार्थों के नरियात](#) को कम कया है ।

- यह डेटा अमेरिकी बाज़ार में भारतीय खाद्यान नरियातकों के समक्ष आने वाली बाधाओं को उजागर करता है । अमेरिका में भारत के खाद्य पदार्थों के नरियात की अस्वीकृति एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है ।

नरियात अस्वीकृति से संबंधति प्रमुख पहलू:

- खाद्यान नरियात में अस्वीकृति के आँकड़े: भारत, मेक्सिको तथा चीन:
 - भारत, मेक्सिको तथा चीन ने अक्टूबर 2019 एवं सतिंबर 2023 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका को नरियात खाद्य शपिमेंट की अस्वीकृति में वृद्धिका अनुभव कया ।
 - भारत द्वारा नरियात खाद्यान की अस्वीकृति दर 0.15% थी, जो सभी खाद्य नरियात शपिमेंट में से अस्वीकार कयि गए शपिमेंट के प्रतशित को दर्शाती है ।
 - इसकी तुलना में चीन और मेक्सिको की अस्वीकृति दर क्रमशः 0.022% तथा 0.025% थी ।
 - भारत की अस्वीकृति दर काफी अधिक है, जो कुल नरियात के सापेक्ष अस्वीकृति की अधिक घटनाओं का संकेत देती है ।
- अस्वीकृति के पीछे प्रमुख कारक:
 - ये उत्पाद पूरगत: या आंशकि रूप से गंदे, सड़े हुए या वधितति पदार्थों से युक्त थे तथा भोजन के लयि अनुपयुक्त थे ।
 - इन उत्पादों में सालमोनेला (Salmonella) नामक बैक्टीरिया मौजूद था जो पेट में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है ।
 - इन उत्पादों में एक अप्रमाणति नई दवा, एक असुरक्षति खाद्य योज्य अथवा एक नषिदिध पदार्थ का उपयोग कया गया ।
 - उत्पादों की पोषण संबंधी लेबल, सामग्री की जानकारी या स्वास्थय दावों के संदर्भ में गलत ब्रांडगि की गई थी ।
- भारत की अस्वीकृति में दीर्घकालकि प्रचालन:
 - पछिले दशक में भारत के खाद्य नरियात अस्वीकृति में गरिवट देखी गई । वर्ष 2015 में अस्वीकृत शपिमेंट्स की संख्या 1,591 थी, जो वर्ष 2023 में घटकर 1,033 रह गई है ।
 - इन अस्वीकृतयों के बावजूद, वतित वर्ष 2023 में भारत का खाद्य नरियात अमेरिका में 1.45 बलियिन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पछिले वतितय वर्ष से 16% की वृद्धि को दर्शाता है । प्रमुख नरियातों में बासमती चावल, प्राकृतकि शहद, ग्वार गम और अनाज से नरिमति उत्पाद शामिल थे ।

खाद्य आयात अस्वीकृति का समर्थन करने वाले अंतरराष्ट्रीय उपाय:

- परचिय:

- **वशिव व्यापार संगठन (WTO)** का **सैनटिरी एंड फाइटो सैनटिरी (SPS)** समझौता यह सुनिश्चित करता है कि **WTO सदस्यों के बीच वपिणति उत्पाद (ऐसे उत्पाद जनिका व्यापार कथि जा चुका है) बीमारयिाँ नहीं फैलाते हैं तथा खाद्य उत्पादों में हानिकारक पदार्थ या रोगजनक नहीं होते हैं।**
- **"SPS समझौता" 1 जनवरी 1995** को वशिव व्यापार संगठन की स्थापना के साथ लागू हुआ।
 - WTO में **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** सहित कुल 164 सदस्य देश हैं।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - सदस्यों को **मानव, पशु या पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये सैनटिरी एंड फाइटोसैनटिरी उपायों को लागू करने का अधिकार है**, बशर्ते ऐसे उपाय इस समझौते के अनुरूप हों।
 - **समझौते के अनुच्छेद 5(7)** में दिये गए प्रावधानों को छोड़कर, उपाय वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित और वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने चाहिये।
 - उपायों में **सदस्यों के बीच अनुचित भेदभाव नहीं** होना चाहिये और सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रचछन्न प्रतर्बिध के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये।
 - एक WTO सदस्य को **अन्य सदस्यों से समान सैनटिरी एंड फाइटोसैनटिरी उपाय स्वीकार करने होंगे**, भले ही वे उसकी आवश्यकताओं से भिन्न हों।
 - नरियातक सदस्य को यह सिद्ध करना होगा कि उसके उपाय आयातक सदस्य की सुरक्षा के आवश्यक पहलुओं को पूरण करते हैं।
 - अनुरोध पर नरीक्षण और परीक्षण के लिये पहुँच प्रदान की जानी चाहिये।

नरितर खाद्य नरियात अस्वीकृतिका भारत पर प्रभाव:

- **वनिधामक अनुपालन लागत में वृद्धि:** इसके परिणामस्वरूप भारतीय नरियातकों के लिये अनुपालन लागत में वृद्धि हुई है। अमेरिकी बाज़ार के कड़े मानकों को पूरा करने हेतु अनुपालन उपायों के अनुरूप नविश करना आवश्यक हो जाता है, जिससे वतितीय तनाव बढ़ता है।
- **व्यापार हानि और बाज़ार प्रतर्षिता:** अस्वीकृत शपिमेट के कारण राजस्व प्रभावति होता है जो वदिशी खरीदारों के बीच वशिवास को कम करता है जिसका असर संभावति रूप से भवषिय के व्यापार अवसरों पर देखा जा सकता है।
 - नरियात में योगदान देने वाले प्रमुख कषेत्र असंगत रूप से प्रभावति हो सकते हैं, जिससे इन नरियातों पर नरिभर कसिानों और व्यवसायों की आजीविका प्रभावति हो सकती है।
- **कूटनीतिक और वैश्विक छवि पर प्रभाव:** इससे **भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों** में तनाव पैदा हो सकता है। नरितर अस्वीकृतिके कारण व्यापार बाधाओं को लेकर चर्चाओं की वजह से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।
 - नरितर अस्वीकृतिके एक **वशिवसनीय खाद्य नरियातक** के रूप में भारत की वैश्विक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे न केवल अमेरिकी बाज़ार प्रभावति होगा बल्कि अन्य अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में संभावति सुधार:

- **सख्त नरीक्षण और गुणवत्ता नरितरण:** भारत को घरेलू और नरियात बाज़ारों के लिये **खाद्य उत्पादों की नगिरानी, नरीक्षण एवं प्रमाणतिकरण** हेतु देश की शीर्ष खाद्य नधियामक संस्था **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण (FSSAI)** की भूमिका तथा कषमता को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- **उन्नत परीक्षण प्रोटोकॉल:** संदूषकों, रोगजनकों एवं मलिवट की पहचान करने हेतु खाद्य उत्पादों के लिये व्यापक परीक्षण प्रोटोकॉल वकिसति करने और लागू करने की आवश्यकता है।
 - **अधकि सटीक और तीवर परीक्षण** के लिये उन्नत प्रयोगशाला उपकरणों में नविश करना।
- **आपूर्ति शृंखला पारदर्शिता:** पारदर्शी और अनुरेखणीय आपूर्ति शृंखला बनाने के लिये **ब्लॉकचेन तकनीक** का उपयोग करना, जिससे **संदूषण के स्रोत या गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की तेज़ी से पहचान हो सके**।
- **वैश्विक मानकों का पालन:** खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन के लिये अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानकों को अपनाना, जैसे **जोखमि वशिलेषण तथा महत्त्वपूर्ण नरितरण बदि (HACCP)**, **अच्छी स्वच्छता प्रथाएँ (GHP)** एवं **कोडेक्स एलमिंटेरियस**।